सरकारी काम–काज में हिन्दी का प्रयोग

17.1 हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2011–12 के दौरान सरकारी कार्य में हिन्दी का अधिक से अधिक प्रयोग करने के लिए अपने प्रयासों को जारी रखा। मंत्रालय में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित कार्य संयुक्त सचिव के प्रशासनिक नियंत्रण में है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राजभाषा अधिनियम, 1963 और इसके अंतर्गत बनाए गए राजभाषा नियम, 1976 आदि के कार्यान्वयन के लिए राजभाषा प्रभाग है जिसमें एक निदेशक, दो सहायक निदेशकों, तीन वरिष्ठ हिन्दी अनुवादकों एवं सात कनिष्ठ हिन्दी अनुवादकों तथा अनुसचिवीय कर्मचारियों के पद स्वीकृत हैं। यह प्रभाग स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीनस्थ/संबद्ध कार्यालयों एवं स्वायत्त संगठनों में संघ राजभाषा नीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है।

मंत्रालय के सभी कम्प्यूटरों पर द्विभाषी रूप में कार्य करने की सुविधा उपलब्ध है तथा कम्प्यूटरों पर यूनिकोड के प्रयोग की सुविधा के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं। मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को हिन्दी का पर्याप्त साहित्य और शब्दकोश/शब्दावलियां उपलब्ध कराई गई है। पत्राचार में हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस अवधि के दौरान हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को प्रोत्साहित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस अवधि के दौरान हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्टें नियमित रूप से राजभाषा विभाग को भेजी गईं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/स्वायत्त संगठनों से प्राप्त हुई तिमाही प्रगति रिपोर्टों की नियमित समीक्षा की गई। मंत्रालय के हिन्दी अनुभागों ने मंत्रिमंडल नोट, विभिन्न देशों के साथ हुए करार, परिणामी बजट, संसदीय स्थायी समितियों से संबंधित सामग्री, संसदीय प्रश्न, मानक फार्म/मसौदे, पत्र आदि जैसे दस्तावेजों के अनुवाद के साथ–साथ विभिन्न प्रकार के विविध अनुवाद कार्य भी पूरी क्षमता और निष्ठा से समय पर सम्पन्न किए।

मंत्रालय में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। इन उपायों का संक्षिप्त ब्यौरा इस प्रकार है :–

17.2 राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का कार्यान्वयन

भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुसरण में राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी दस्तावेज हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किए जा रहे हैं। क, ख और ग क्षेत्रों में स्थित केन्द्र सरकार के कार्यालयों के साथ हिन्दी में पत्राचार करना सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय में अभिनिर्धारित किए गए जांच–बिन्दुओं के आधार पर राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कार्य–योजना बनाई गई है। राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम और आदेशों/निदेशों को इस मंत्रालय के सभी अनुभागों तथा इसके अधीनस्थ/सम्बद्ध कार्यालयों/स्वायत्त संगठनों को सूचनार्थ अग्रेषित किया गया और इनका अनुपालन करने के लिए निदेश जारी किए गए।

17.3 राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ओ एल आई सी)

मंत्रालय में संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित है, जिसकी बैठकें प्रत्येक तिमाही में नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं। विचार–विमर्श के बाद, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य हासिल करने के लिए और मंत्रालय तथा इसके अधीनस्थ/संबद्ध कार्यालयों/स्वायत्त संगठनों में संघ की राजभाषा नीति के संवैधानिक प्रावधानों को लागू करने के लिए इन बैठकों में निर्णय लिए जाते है। यह समिति आवधिक रूप से राजभाषा हिन्दी के प्रयोग की प्रगति की समीक्षा करती है और समुचित सुझाव देती है तथा राजभाषा नीति के प्रभावी

कार्यान्वयन के लिए उपायों की संस्तुति करती है। मंत्रालय के अधीनस्थ/सम्बद्ध कार्यालयों/स्वायत्त संगठनों को भी राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक नियमित रूप से आयोजित करने के निदेश दिए गए।

17.4 हिन्दी सलाहकार समिति

सरकार की राजभाषा नीति के कारगर कार्यान्वयन के बारे में सलाह देने के लिए माननीय केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री गुलाम नबी आज़ाद की अध्यक्षता में दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 को हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक की गई। बैठक में समिति के सदस्यों ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए।

17.5 हिन्दी पखवाड़ा

मंत्रालय के सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए मंत्रालय में 15 सितम्बर से 28 सितम्बर, 2011 तक हिन्दी पखवाड़ा आयोजित किया गया। पखवाड़े के दौरान हिन्दी निबंध लेखन, हिंदी टंकण, हिन्दी टिप्पण/प्रारूपण, हिन्दी सामान्य ज्ञान और हिन्दी श्रुतलेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की गई और इनमें बड़ी संख्या में अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया। इन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को नकद पुरस्कर तथा प्रमाण–पत्र दिए गए।

17.6 हिन्दी कार्यशाला

वर्ष के दौरान मंत्रालय के अधिकारियों को अपना अधिक से अधिक कार्य हिन्दी में करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मंत्रालय में हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित की गईं जिनमें अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया।

17.7 प्रकाशन

वर्ष के दौरान मंत्रालय ने हिन्दी पत्रिकाओं और जर्नलों जैसे हमारा घर', 'राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) मार्गदर्शी सिद्धांत का प्रकाशन किया।

17.8 हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित निरीक्षण

राजभाषा नीति के कार्यान्वयन का जायजा लेने के लिए वर्ष के दौरान मंत्रालय के अधिकारियों ने 3 कार्यालयों नामतः राष्ट्रीय जैविक संस्थान, नोएडा, एचएलएल लाइफकेयर लि. नोएडा, एचएससीसी (इंडिया) लि. नोएडा का निरीक्षण किया।